195

संख्या 823/XLI-1/13-10(प्रशि0)/20

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 16 जुलाई 2013

विषयः— **प्रशिक्षण विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2013—2014 के आय—व्ययक की वित्त स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 4197/डीटीईयू/0202/प्रस्ताव 11/2013— 14, दिनांक 05 जून 2013 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या— 284/XX (1)/ 2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय 2013—14 के आय—व्ययक में प्रशिक्षण विभाग के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थ का सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु रू0. 30.00लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनर अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तो वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्य में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।

3— व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों त अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्त अनुमोदन के साथ—साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करायेंगें तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

4— किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम स खण्ड—1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—5 भाग—1 (ले नियम), आय—व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासना आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपा सुनिश्चित किया जाय।

6— अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्ष अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है अं सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हे आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ शासनादेश संख्या बी—2—2337/97 दिनांक नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय, जो बि कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के स सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

7— बजट नियंत्रक अधिकारी बी.एम—17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदे हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण—वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिक का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अर्ध आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी कि जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिक उत्तरदायी होगें।

8— विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग उपलब्ध करायी जाय।

9— बजट मैनुअल पैरा—88 में इंगित किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्य जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृति के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी माम में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी.एम— पर नियमित रूप से सूचना विलम्बतः 15 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करा जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भे जाना सुनश्चित किया जाय।

10— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नही कि जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11— **आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

12— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक के अनुब संख्या—16 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230—श्रम तथा रोजगार— 0 प्रशिक्षण—003—दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण—07—राजकीय औद्योगिक प्रशिक्ष सस्थानों का सुदृढ़ीकरण के मानक मद—25—लघु निर्माण के नामें डाला जायेगा।

13— उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/दिनाक 30 मार्च 2013 में दि गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2 आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
3 निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5 समस्त प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान उत्तराखण्ड।
6 वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग—3 उत्तराखण्ड शासन।
7 नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
8 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून
9 बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 223/XLI-1/13-10(Trg)/2013

अलोटमेंट आई डी - S13081600З

अनुदान संख्या - 016

आवंटन पत्र दिनांक 19-Aug-20

HOD Name - Director Training (4635)

1 लेखा शीर्षक 2230 - श्रम तथा रोजगार

03 - प्रशिक्षण

003 - दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

07 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

00 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघु निर्माण कार्य	0	3000000	3000000
	0	3000000	3000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3000000